पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 178/2024 दिनांक- 05.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – तरवां

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक-30.05.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की बहन की लड़की को किशन राजभर पुत्र श्रीराम राजभर ग्राम करनेहुवा थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ अपने साथी के साथ मिलकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 173/2024 धारा 363, 366, 120 बी0 भादवि0 बनाम 1. किशन राजभर पुत्र श्रीराम राजभर, 2. गोलू राजभर पुत्र अज्ञात समस्त निवासी ग्राम करनेहुवा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है । जिसकी विवेचना उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्र द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

➡ दिनांक-31.05.2024 को पीड़िता को बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 05.06.2024 को उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशन राजभर पुत्र श्रीराम राजभर ग्राम करनेहुवा थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ को खरिहानी तिराहा से समय करीब 05:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 173/2024 धारा 363, 366, 120 बी0 भादवि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त किशन राजभर पुत्र श्रीराम राजभर निवासी करनेहुवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्र, उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज

हत्या के प्रयास में 02 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 03.06.2024 को वादी मुकदमा सूर्यभान सोनकर पुत्र स्व0 महगू सोनकर निवासी बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी लव यादव व वेद प्रकाश समस्त पुत्र रामगोपाल यादव निवासी बशीबाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ व 06 अज्ञात व्यक्ति वादी के बरामदे मे घुसकर वादी को जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुये धार धार हथियार व कट्टा से मारने का प्रयास किये जिसमें वादी के भतीजे चमन सोनकर के सिर मे चोट लग गयी तथा लव यादव ने आवेदक पर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायरिंग किया तथा जान से मारने की धमकी दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 198/24 धारा 34/323/307/308/452/504/506 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05.06.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. लव यादव पुत्र रामगोपाल यादव निवासी बशीबाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, 2. वेदप्रकाश पुत्र रामगोपाल यादव निवासी बशीबाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को बघैला ग्राउण्ड से समय करीब 9:45 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त लव यादव पुत्र रामगोपाल यादव नि0 वंशी बाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ़ के पास से 01 तमंचा बोर.315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा तमंचे के चैम्बर से 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लव यादव पुत्र रामगोपाल यादव निवासी बशीबाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।
2. वेदप्रकाश पुत्र रामगोपाल यादव निवासी बशीबाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 198/24 धारा 34/323/307/308/452/504/506 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़, बढ़ोत्तरी धारा 3/25 शस्त्र अधि ।

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त लव यादव)

1. मु0अ0सं0 198/2024 धारा 34/323/307/308/452/504/506 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़। बढ़ोत्तरी धारी 3/25 शस्त्र अधि।
2. मु0अ0सं0 219/2020 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 220/2020 धारा 307 भा0द0वि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 221/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1- 01 तमंचा व 01 जिन्दा तथा 01 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. हे0का0 सुनील कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 दीपू शर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 संजय सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

चोरी गये नवजात बच्ची को 15 घण्टे के अन्दर किया गया बरामद; बरामदगी हेतु 200 cctv कैमरों को किया गया चेक, एक महिला गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

दिनांक 04.06.2024 को चन्दन पाल पुत्र लालचन्द्र पाल निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 30.05.2024 को वादी की बहन की एक बच्ची जिला महिला हास्पिटल मातबरगंज आजमगढ मे पैदा हुयी थी। दिनांक 4/06/2024 को रात्रि समय करीब 2.34 बजे बच्ची को एक व्यक्ति वादी की बहन के पास से उठा कर लेकर चला गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 338/2024 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ प्रकरण को संज्ञान में लेकर उक्त बच्ची की खोजबीन के लिये प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय द्वारा 02 टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– दिनांक 04.06.2024 को प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बच्चे बच्चे की तलाश व पतारसी करते हुए लगभग 200 कैमरों को चेक किया गया तथा अभियुक्ता की पहचान सरोज पुत्री हंशराज निवासी ग्राम मातनपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष के रुप में हुयी जिसे उसके घर ग्राम मातनपुर से गिरफ्तार कर अपहृत बच्ची को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता- सरोज पुत्री हंशराज निवासी ग्राम मातनपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 338/2024 धारा 363,310,311,368,120 बी भादवि0 थाना कोतवाली आजमगढ़।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि वह सुरज कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महजू नि0 बरईपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के साथ लगभग 6 वर्ष से रिलेशन मे है। जिसे एनआईएस (स्पोर्टस कोच) की पढाई हेतु करीब 3 लाख रुपये की आवश्यकता थी। इसी लिये अभियुक्ता ने अपने साथी सूरज कुमार व अन्य लोगो के साथ मिल कर दिनांक 04.06.2024 को भोर मे अस्पताल से बच्चा चोरी किये थे तथा बच्चे को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश सूरज द्वारा किया जा रहा था।

बरामदगी- नवजात बच्ची

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 189/24 धारा 363 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2- मु0अ0सं0- 338/2024 धारा 363,310,311,368,120 बी भादवि0 थाना कोतवाली आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 शशिमौलि पाण्डेय, कां0 दमन पाण्डेय, कां0 नरेन्द्र तिवारी, कां0 सतेन्द्र पाठक, म0कां0 शिल्पा तिवारी थाना कोतवाली आजमगढ़।

2.उ0नि0 रामकृष्ण सिंह, उ0नि0 राजनरायन पाण्डेय, उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव, हे0कां0 सतीश यादव, कां0 अखिलेश यादव, कां0 अरूण यादव, कां0 पिन्टु यादव थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना देवगांव

चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.05.2024 को आवेदकगण 1. विजय बहादुर सिंह पुत्र गनपत सिंह 2. विवेक कुमार उपध्याय पुत्र कल्पनाथ 3. शैलेन्द्र चौहान पुत्र विजय चौहान 4. सुनिल कुमार राम पुत्र स्वामीनाथ राम अध्यापकगण सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज लालगंज आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 01.05.2024 को आवेदको के किराये के मकान का ताला तोड़कर चेन, अंगुठी, चांदी के सिक्के, लैपटाप, वाई फाई तथा 15000 रू0 नकद अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 162/2024 धारा 380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 06.05.2024 को वादी मुकदमा पृथ्वीराज सिंह पुत्र भारत निवासी दीनदयाल नगर मसीरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी के किराये के मकान मे दोपहर मे अज्ञात चोरो द्वारा सोने चांदी का गहना एवं कुछ नगदी की चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 170/2024 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 17.05.2024 को वादी मुकदमा संदीप प्रजापति पुत्र बृजराज निवासी अमौड़ा थाना गंभीरपुर आजमगढ़ की चाय चौपाल दुकान से अज्ञात चोरो द्वारा 01 साउण्ड मशीन, पान की सामग्री तथा 12000/- रुपये नगद चोरी कल ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 192/2024 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➡ पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों की विवेचना उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबीन निवासी वार्ड नं0- 15 चिकयाना (गोला कस्बा लालगंज) थाना देवगांव आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 05.06.2024 को उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबीन निवासी वार्ड नं0- 15 चिकयाना (गोला कस्बा लालगंज) थाना देवगांव आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को कटौली मोड़ से समय करीब 07:05 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 600 रूपये (चोरी का सामान बेचने से मिले) बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 162/2024 धारा 380,411,413 भादवि देवगांव आजमगढ़,
2. मु0अ0सं0 170/2024 धारा 380,411,413 भादवि धारा देवगांव आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 192/2024 धारा 380,411,413 भादवि धारा देवगांवआजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबीन निवासी वार्ड नं0 15 चिकयाना (गोला कस्बा लालगंज) थाना देवगांव आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण- 600 रूपये नगद

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	162/2024	380,411,413 भादवि	देवगांव	आजमगढ़
2	170/2024	380,411,413 भादवि	देवगांव	आजमगढ़
3	192/2024	380,411,413 भादवि	देवगांव	आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी, (चौकी प्रभारी लालगंज) मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़।

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 04 अभियुक्त को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>थाना तहबरपुरः घर में घुसकर मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के अभियोग में 04 आरोपी अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5500-5500 रूपये जुर्माना</u>

➡ दिनांक-17.05.2002 को वादी मुकदमा सूर्यनाथ पाठक नि0 पठखौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना तहबरपुर पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी 1-प्रमोद कुमार पाठक, 2-विनोद कुमार पाठक, 3-अशोक कुमार पाठक पुत्रगण राजकिशोर पाठक, 4- राजकिशोर पाठक पुत्र तिलकधारी पाठक नि0 पठखौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर लाठी-डण्डा से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाया गया था।

➡जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-58/2002 धारा 323, 324, 325 भादवि बनाम 04 नफर पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 08 गवाह परिक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 05.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 06 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी अभियुक्त 1-प्रमोद कुमार पाठक, 2-विनोद कुमार पाठक, 3-अशोक कुमार पाठक पुत्रगण राजकिशोर पाठक, 4- राजकिशोर पाठक पुत्र तिलकधारी पाठक नि0 पठखौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5500-5500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>थाना तहबरपुरः घर में घुसकर मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के अभियोग में 04 आरोपी अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 9500-9500/- रूपये जुर्माना</u>

➡ दिनांक-17.05.2002 को वादी मुकदमा प्रमोद कुमार पाठक नि0 पठखौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना तहबरपुर पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी 1-दुर्गा प्रसाद पाठक, 2- चण्डी प्रसाद पाठक, 3- दीपक पाठक,4- चन्दन पाठक पुत्रगण सूर्यनाथ पाठक, 5- सूर्यनाथ पाठक, 6- बलिराम पाठक, 7- लक्ष्मीप्रसाद पाठक पुत्रगण रामगुलाम पाठक नि0 पठखौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर लाठी-डण्डा से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाया गया था।

➡जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-58ए/2002 धारा 147, 149, 308, 504, 506 323, 324, 452 भादवि बनाम 07 नफर पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों 5- सूर्यनाथ पाठक, 6- बलिराम पाठक, 7- लक्ष्मीप्रसाद पाठक पुत्रगण रामगुलाम पाठक नि0 पठखौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ की मृत्यु हो चुकी है।

➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 08 गवाह परिक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 05.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 06 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी अभियुक्त 1-दुर्गा प्रसाद पाठक, 2- चण्डी प्रसाद पाठक, 3- दीपक पाठक, 4- चन्दन पाठक पुत्रगण सूर्यनाथ पाठक नि0 पठखौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9500-9500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।